

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 14th November, 2014

No. S.O. 113/H.A. 11/1994/Ss. 7 and 8/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Nalwi Par Tilla from the sabha area of Gram Panchayat Nalwi Par, Block Karnal, District Karnal and declares the areas so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Nalwi Par Tilla as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Karnal	Karnal	Nalwi Par Tilla (Hadbast No. 83)	Nalwi Par Tilla

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 नवम्बर, 2014

संख्या का०आ० 113/ह०अ० 11/1994/घा० 7 तथा 8/2014.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत नलवीपार, खण्ड करनाल, जिला करनाल के समा क्षेत्र से गांव नलवीपार टिल्ला के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को समा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त समा क्षेत्रों के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित नलवीपार टिल्ला के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/समा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
करनाल	करनाल	नलवी पार टिल्ला (हदबस्त संख्या 83)	नलवी पार टिल्ला

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आमामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

रामनियास,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।